

[2024] 9 एस. सी. आर 443:2024 आई. एन. एस. सी. 709

मेसर्स अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड

बनाम

मस्त राम और अन्य

(सिविल अपील संख्या 10662/2024)

20 सितंबर, 2024

[जे. बी. पारदीवाला* और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

क्या विषयगत भूमि और उससे जुड़ी अन्य सभी देनदारियाँ योजना के अनुसार अपीलकर्ता को हस्तांतरित की गई थीं; क्या अपीलकर्ता या जे.ए.एल ही अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था; क्या भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार अधिनियम की योजना के तहत इस स्तर पर भूमि प्रतिवादी संख्या 1-6 को वापस की जा सकती है; दूसरे शब्दों में, धारा 101 का दायरा क्या है; क्या हिमाचल प्रदेश राज्य, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, दिनांक 02.05.2022 के अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रखता है।

हेडनोट्स[†]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 - उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 (मूल याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूरी दी और अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल. ए. सी.) (प्रतिवादी संख्या 10) द्वारा पारित पूरक पुरस्कार में निर्धारित मुआवजे के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करे, जिसमें जे. ए. एल. (प्रतिवादी संख्या 11) से उसी राशि की वसूली करने की स्वतंत्रता हो, अगर दोनों कंपनियों के बीच कानूनी संबंध के तहत अनुमति हो- सत्यता:

अभिनिर्धारित किया गया: अपीलकर्ता और जेएएल के बीच सहमत योजना का विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि 02.05.2022 के पूरक पुरस्कार के तहत निर्धारित राशि का भुगतान किसे करना चाहिए - खंड 1.1 (ओ) "प्रभावी तिथि" को उस तिथि के रूप

*लेखक

में परिभाषित करता है जिस दिन योजना अपनी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो जाती है, जो समापन तिथि [खंड 1.1 (के) और खंड 10.1] में परिभाषित की गई है- उक्त तिथि को पक्षकारों के बीच 29.06.2017 तय किया गया था - पक्षकारों ने खंड 1.1 (डब्ल्यू) (ix) के माध्यम से सहमति व्यक्त की कि अपीलकर्ता को हस्तांतरित किए जाने वाले व्यवसाय और परिसंपत्तियों से संबंधित सभी मुकदमे जो समापन तिथि से पहले या उस दिन उत्पन्न हुए थे, उन्हें अपीलकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और जेएएल के पास ही रहेंगे - योजना के खंड 7.1 में बिना किसी अस्पष्टता के कहा गया है कि खंड 1.1(डब्ल्यू) में परिभाषित जे.ए.एल व्यवसाय से संबंधित सीमेंट परियोजना का संचालन करने वाली जे.ए.एल या इसकी इकाई द्वारा या उसके विरुद्ध कोई भी कानूनी या अन्य कार्यवाही, जो प्रभावी तिथि से पहले शुरू हुई हो या उत्पन्न हुई हो और लंबित हो, जे.ए.एल के पास रहेगी - तथ्यों से पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही योजना की प्रभावी तिथि (अर्थात् 29.06.2017) से पहले शुरू हो गई थी और प्रभावी तिथि तक मुआवजा अनिर्धारित रहा - ये तथ्य योजना के खंड 7.1 के अनुप्रयोग को आकर्षित करते हैं क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही और इसके साथ जुड़े मुआवजे का भुगतान करने की देयता स्पष्ट रूप से 'अन्य कार्यवाही' के अर्थ में आती है, जैसा कि उक्त खंड के तहत पक्षों द्वारा इरादा किया गया है। जे.ए.एल ने इस बात पर भी विवाद नहीं किया है कि उसने 2018 के अधिनिर्णय के तहत निर्धारित राशि यानी 10,77,53,842 रुपये का भुगतान योजना की प्रभावी तिथि के बाद किया था - उक्त राशि पहले ही भूस्वामियों को वितरित की जा चुकी है - एल.ए.सी द्वारा दिनांक 08.06.2018 के अधिनिर्णय के तहत राशि निर्धारित करने के बाद, जे.ए.एल ने बिना किसी विरोध या योजना का संदर्भ दिए उसका भुगतान कर दिया - इसलिए, उसी भूमि और उन्हीं मूल भूस्वामियों से संबंधित पूरक निर्णय के चरण में, जे.ए.एल को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि विषयगत भूमि के संबंध में भुगतान अपीलकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक था। [पैरा 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 - धारा 101 - जे.ए.एल का मामला यह है कि विषयगत भूमि के अधिग्रहण में पर्याप्त देरी के कारण उसका उद्देश्य विफल हो गया है, और वह भूमि का कोई उपयोग नहीं कर सका - यह प्रस्तुत किया गया कि यदि अपीलकर्ता को उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, तो इसे मूल भूमि मालिकों को

वापस कर दिया जाना चाहिए और 2018 के अधिनिर्णय के तहत भुगतान की गई 10,77,53,842 रुपये की राशि जे.ए.एल को वापस की जानी चाहिए:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 101 के आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें हैं: (1) भूमि अप्रयुक्त होनी चाहिए; और (2) वह अवधि जब तक वह उपयोग में नहीं रहती, कब्जा लेने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए - जे.ए.एल की इस दलील में कोई दम नहीं है कि जमीन मूल भूस्वामियों को वापस कर दी जाए - जे.ए.एल द्वारा कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद, पहली शर्त कि भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, पूरी नहीं हुई है - विषयगत भूमि सीमेंट संयंत्र के खनन क्षेत्र को सुरक्षा क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी - अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान विषयगत भूमि से निवासियों के लिए खतरा उत्पन्न होने के अलावा किसी अन्य उपयोग की परिकल्पना नहीं की गई थी - जे.ए.एल भूमि की वापसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि इससे परिणामस्वरूप मूल भूमि मालिकों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है- यह भी पाया गया है कि विषयगत भूमि सीमेंट परियोजना के संचालन के दौरान सुरक्षा क्षेत्र के रूप में उपयोग में रही है और अप्रयुक्त होने की शर्त पूरी नहीं हुई है - इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुपूरक अधिनिर्णय को विषयगत भूमि के लिए खड़ी फसलों, संरचनाओं और अन्य नुकसानों के मुआवजे के रूप में पारित किया जाना था, जिसे दिनांक 08.06.2018 के पुरस्कार संख्या 1 के तहत तय और मूल्यांकन नहीं किया जा सका था - पूरक पुरस्कार पारित करना एक नया अभ्यास नहीं था, बल्कि 2018 के पुरस्कार की निरंतरता/विस्तार था - इसलिए, जब जे.ए.एल ने बिना किसी आपत्ति के पिछले अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया है, तो उसे अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत अपनी देयता पर सवाल उठाने और इस स्तर पर भूमि की वापसी के लिए दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस आधार पर कि अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी के कारण भूमि का उद्देश्य विफल हो गया है। [पैरा 35, 36, 37, 38, 39]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 - धारा 101 - इसका दायरा:

आयोजित किया गया: तत्काल खंड को 2013 के अधिनियम में पहली बार उन भूमि मालिकों के लिए एक लाभकारी प्रावधान के रूप में पेश किया गया था, जिनकी भूमि हड़पी गई थी, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया था या धारा 4 के तहत अधिसूचनाओं में बताए गए

उद्देश्य के अनुसार उनका उपयोग नहीं किया गया था- हालांकि, धारा का आवेदन केवल उन परिस्थितियों में आवश्यक है जहां भूमि की वापसी से भूमि मालिकों को लाभ होगा-जो पक्ष भूमि का उपयोग करने में विफल रहा है, वह भूमि की वापसी और उसके परिणामस्वरूप भुगतान किए गए मुआवजे की वापसी के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अपने स्वयं की गलती या चूक का लाभ उठाने के समान होगा।[पैरा 40]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 300-ए - संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत राज्य की भूमिका - निर्धारित मुआवजे का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी:

अभिनिर्धारित किया गया: यह तय किया जाता है कि एक बार मुआवजे का निर्धारण हो जाने के बाद, बिना किसी आवश्यकता के तुरंत भुगतान किया जाता है। भूमि मालिकों द्वारा अभ्यावेदन या अनुरोध और भूमि खोने वालों को इस तरह के मुआवजे का भुगतान करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य डाला जाता है, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 300-ए का भंग होगा - तत्काल मामले में, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार को इस मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुआवजे के लिए आवश्यक राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए - राज्य यह तर्क देकर मुआवजे के भुगतान की अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी का त्याग नहीं कर सकता है कि उसकी भूमिका अपीलकर्ता, जे.ए.एल और उसके बीच हस्ताक्षरित समझौता जापन के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने तक सीमित थी - इस अदालत ने पाया कि इस मामले में देरी भूमि मालिकों से विषय भूमि का स्वामित्व छीनने के बाद उन्हें मुआवजे का भुगतान करना अनुच्छेद 300ए की संवैधानिक योजना और एक कल्याणकारी राज्य के विचार का भंग है - राज्य सरकार से, विशिष्ट परिस्थितियों में, अपने खजाने से भूमि मालिकों को मुआवजे के लिए आवश्यक भुगतान करने की उम्मीद की जाती थी और उसके बाद उसे जे.ए.एल से वसूल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था - गरीब भूमि मालिकों को शक्तिशाली कॉर्पोरेट घरानों के पीछे भागने के बजाय, उसे जे.ए.एल. को आवश्यक भुगतान करने के लिए मजबूर करना चाहिए था- इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, प्रतिवादी संख्या 1-6 को उनकी भूमि पर कब्जा लेने से

पहले मुआवज़े का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया - 2013 अधिनियम की धारा 38 को पढ़ने से पता चलता है कि भूमि मालिकों को पूर्ण और अंतिम मुआवज़े का भुगतान ऐसे व्यक्तियों से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर कब्ज़ा लेने से पहले की शर्त है। वास्तव में, भूमि मालिकों को अनुपूरक अधिनिर्णय पारित करने के लिए एल.ए.सी को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो अंततः 02.05.2022 को पारित किया गया, जो कि 2018 के पुरस्कार पारित होने की तारीख से लगभग चार साल की अवधि के बाद था - इसके अलावा, 1894 अधिनियम की धारा 41 के तहत उपयुक्त सरकार और उस कंपनी के बीच एक समझौते की आवश्यकता होती है जिसके उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है - ऐसे समझौते का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिग्रहण की लागत के लिए भुगतान कंपनी द्वारा उपयुक्त सरकार को किया जाए और केवल ऐसे भुगतान के बाद ही भूमि कंपनी को हस्तांतरित की जाए - इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि जेएएल को विषयगत भूमि को हस्तांतरित करने से पहले हिमाचल प्रदेश राज्य को अपेक्षित भुगतान करना अनिवार्य था - हालांकि, 08.06.2018 के पुरस्कार में निर्धारित अनुपूरक अधिनिर्णय के माध्यम से मुआवजे की राशि निर्धारित होने से पहले ही, विषयगत भूमि जे.ए.एल को हस्तांतरित कर दी गई। यह क्रमशः 2013 अधिनियम की धारा 38 और 1894 अधिनियम की धारा 41 का उल्लंघन है - इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 7 (हिमाचल प्रदेश राज्य) और 10 (एल.ए.सी) को 3,05,31,095/- रुपये की मुआवज़ा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है - राज्य द्वारा भुगतान की गई कुल राशि प्रतिवादी संख्या 11 (जे.ए.एल) से वसूल की जाएगी। [पैरा 47, 48, 50, 52, 54, 55, 58]

मामला कानून उद्धृत किया गया

कोलकाता नगर निगम एवं अन्य बनाम बिमल कुमार शाह एवं अन्य
[2024] 5 एससीआर 831 : 2024 एससीसी ऑनलाइन एस.सी 968 - पर भरोसा किया गया।

रॉय एस्टेट बनाम झारखंड राज्य [2009] 7 एससीआर 343: (2009) 12 एससीसी 194; भारत संघ बनाम महेन्द्र गिरजी (2010) 15 एससीसी 682; मंसाराम बनाम एस.पी. पाठक [1984] 1 एससीआर 139: (1984) 1 एससीसी 125; धरणीधर मिश्रा (डी) और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [2024] 6 एससीआर 714: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 932; हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार [2011] 14 एससीआर 211: (2011) 10 एससीसी 404; तुकाराम काना जोशी और अन्य। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाम एम.आई.डी.सी. और अन्य। [2012] 13 एससीआर 29 : (2013) 1 एससीसी 353; कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2547; प्रेमलाल एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य, सीडब्ल्यूपी संख्या 481/2010 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894; भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013; कंपनी अधिनियम, 1956; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 101; भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 38; भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 41; कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394; भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300-ए; मुआवजे का भुगतान; अधिग्रहित भूमि की वापसी; उपयुक्त सरकार के साथ समझौता; अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर कब्जा लेने की शक्ति।

जिससे मामला उत्पन्न हुआ

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10662/2024
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के दिनांक 12.07.2022 के निर्णय एवं आदेश से सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2350/2018

दलों के लिए उपस्थिति

नवीन पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, विक्टर दास, सुश्री गीतिका शर्मा, सुदिप्तो सीकर, सुश्री मानवी अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्तागण, अपीलकर्ता के लिए।

पुनीत राजता, ए. ए. जी., रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुभाष चंद्रन के. आर., विरेंद्र ठाकुर, सुश्री कृष्णा एल. आर., बीजू पी. रमन, हिमांशु त्यागी, विक्रान्त नारायण वासुदेव, सार्थक चिल्लर, रोहित लोचाव, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, पवन आर. उपाध्याय, सर्वजीत प्रताप सिंह, मेसर्स यूनुक लीगल एल. एल. पी., अधिवक्ता, प्रतिवादीओं के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

फैसला

जे. बी. पारदीवाला, जे.

व्याख्या की सुविधा के लिए, इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है:-

सूचकांक*

I. तथ्यात्मक मैट्रिक्स.....	3
II. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ.....	8
III प्रतिवादी संख्या 1-6 की ओर से प्रस्तुतियाँ.....	12
IV. प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से प्रस्तुतियाँ.....	13
V. प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से प्रस्तुतियाँ.....	15
VI. निर्धारण हेतु मुद्दे.....	17
VII. विश्लेषण.....	18
क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अंतर्गत अपीलकर्ता और जेएएल के बीच व्यवस्था की योजना.....	18
ख. 2013 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि की वापसी.....	25
ग. उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश.....	28
घ. संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत राज्य की भूमिका.....	30
VIII. निष्कर्ष.....	37

1. अनुमति अनुदत्त की गई।
2. यह अपील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा दिनांक 12.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 (मूल याचिकाकर्ता) द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 2350/2018 में पारित आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकृति दी और अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अर्की ("एल.ए.सी") (प्रतिवादी संख्या 10) द्वारा दिनांक 02.05.2022 को पारित अनुपूरक अधिनिर्णय में निर्धारित मुआवजे के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान करे, साथ ही उसे मेसर्स

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ("जे.ए.एल") (प्रतिवादी संख्या 11) से वसूलने की स्वतंत्रता भी दी, यदि दोनों कंपनियों के बीच कानूनी संबंध के तहत अनुमति दी जाती है।

1. तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. हिमाचल प्रदेश राज्य (प्रतिवादी संख्या 7) ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ("1894 अधिनियम") की धारा 4 के अंतर्गत अपने उद्योग विभाग के माध्यम से दिनांक 25.07.2008 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की तहसील के मौजा भालग में स्थित 56-14 बीघा भूमि ("विषयगत भूमि") को जे.ए.एल की एक इकाई जेपी हिमाचल सीमेंट परियोजना के पक्ष में अधिग्रहित करने की मंशा जाहिर की, जिसमें अधिनियम 1894 की धारा 17 के अंतर्गत प्रदत्त तात्कालिकता के मामलों में विशेष शक्तियों का प्रयोग किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विषयगत भूमि को अधिग्रहित करने का उद्देश्य खनन क्षेत्र के आसपास एक सुरक्षा क्षेत्र बनाना था। दूसरे शब्दों में, विषयगत भूमि खनन परियोजना के पट्टे वाले क्षेत्र के आसपास स्थित थी और इसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों या किसी अन्य संरचना के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता था। इसके बाद 1894 अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत क्रमशः अधिसूचनाएँ भी जारी की गईं।
4. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अधिग्रहण कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1-6 सहित कुछ भूस्वामियों ने अधिकारियों को मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से विषय भूमि पर स्थित अपने घरों, पेड़ों, संरचनाओं आदि का मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं दी।
5. अधिग्रहण की कार्यवाही को अंततः कुछ भूस्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2949/2009 शीर्षक **प्रेमलाल एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य** तथा सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 481/2010 शीर्षक **चुन्नी लाल एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य** के माध्यम से चुनौती दी गई, इस आधार पर कि 1894 अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) लागू नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अधिग्रहण किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं था। उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए दिनांक 14.12.2011 को एक अंतरिम आदेश पारित किया।
6. उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.06.2016 को एक सामान्य निर्णय द्वारा उपरोक्त रिट याचिकाओं को *इस आधार* पर खारिज कर दिया कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण एक

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था क्योंकि उक्त भूमि में सीमेंट के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल (चूना पत्थर) था अन्य बातों के साथ साथ इस तरह के खनिज धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

7. चूंकि रिट याचिकाएं खारिज हो गई थीं, इसलिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अर्की ने 1894 अधिनियम की धारा 11(1) और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") की धारा 24(1)(ए) के अनुसार दिनांक 08.06.2018 को अधिनिर्णय संख्या 1/2018 पारित किया, जिसमें 10,77,53,842.27/- रुपये (दस करोड़ सत्तर लाख तिरपन हजार आठ सौ बयालीस और सत्ताईस पैसे) का मुआवजा निर्धारित किया गया, साथ ही 2% की दर से आकस्मिक शुल्क भी लगाया गया, जिसकी राशि 9,09,315.12/- रुपये थी। एल.ए.सी ने अपने द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट किया कि धारा 4 के तहत अधिसूचना की तिथि से पहले निर्मित मकानों और अन्य संरचनाओं के लिए मुआवजा राशि, जिनके सर्वेक्षण की अनुमति अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान भूस्वामियों द्वारा नहीं दी गई थी, उन पर अनुपूरक अधिनिर्णय में विचार किया जाएगा, जो संरचनाओं के मूल्यांकन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अलग से पारित किया जा सकता है।
8. दिनांक 08.06.2018 के अधिनिर्णय के तहत निर्धारित राशि जेएएल द्वारा जमा की गई और भूस्वामियों को वितरित की गई। विषयगत भूमि के संबंध में दिनांक 07.06.2019 को कब्जा प्रमाण पत्र जे.ए.एल के पक्ष में जारी किया गया। इसके बाद, जे.ए.एल के पक्ष में विषयगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ 12.11.2020 को उत्परिवर्तन की गईं।
9. दिनांक 08.06.2018 के अधिनिर्णय से असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी संख्या 1-6 ने दिनांक 16.09.2018 को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 2350/2018 दायर की, जिसमें वर्ष 2008 से 2018 के बीच की अवधि के लिए विषय भूमि पर संरचनाओं और खड़ी फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के बाद एक अनुपूरक अधिनिर्णय पारित करने के लिए एलएसी को निर्देश देने की प्रार्थना की गई, साथ ही धारा 4 के तहत अधिसूचना की तिथि से दिनांक 18.06.2018 के अवार्ड की तिथि तक बाजार मूल्य पर 12% की दर से अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2013 अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक नया अवार्ड पारित करने के लिए एल.ए.सी

को निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई। दिनांक 12.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 1-6 ने भी 2013 अधिनियम के तहत एक संदर्भ याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 08.06.2018 के पुरस्कार के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि को बढ़ाने की प्रार्थना की गई।

10. दिनांक 24.11.2021 को, उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें एल.ए.सी को कानून के अनुसार एक अनुपूरक अधिनिर्णय पारित करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 23.05.2022 को, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि 02.05.2022 का अनुपूरक अधिनिर्णय उसके 24.11.2021 के आदेश के अनुपालन में पारित किया गया था, जिसके तहत कुल मूल्यांकन मूल्य के 2% की दर से आकस्मिक शुल्क के साथ 3,02,75,605/- रुपये की अतिरिक्त राशि जे.ए.एल द्वारा भुगतान की जानी थी। इस प्रकार, स्थापित कुल अतिरिक्त राशि रु. 3,05,31,095/- (तीन करोड़ पांच लाख इकतीस हजार पचानवे रुपये) हालांकि, उच्च न्यायालय ने 20.06.2022 को दर्ज किया कि उक्त राशि उनकी दिनांक 23.05.2022 के आदेश के जमा नहीं की गई थी।
11. अधिग्रहण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जे.ए.एल ने सीमेंट परियोजना के हस्तांतरण के लिए अपीलकर्ता के साथ एक समझौता किया। इस संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता, जे.ए.एल और जे.पी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीमेंट परियोजना का संचालन करने वाली जे.ए.एल की इकाई) ("योजना") के बीच व्यवस्था की एक योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") मुंबई बेंच ने 15.02.2017 को और एन.सी.एल.टी इलाहाबाद बेंच ने 02.03.2017 को मंजूरी दी थी।
12. 21.06.2017 पर, हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के उद्योग निदेशक ने जे. ए. एल. और अपीलकर्ता को एक पत्र जारी किया, जिसमें एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार और अपीलकर्ता, जे. ए. एल. और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच क्रमशः 29.06.2017 पर किए गए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सीमेंट संयंत्र के हस्तांतरण के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा दी गई मंजूरी को स्वीकार किया गया।
13. ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता और जे.ए.एल के बीच संबंधों की जांच की और इस मुद्दे को निर्धारित करने के उद्देश्य से योजना का भी उल्लेख किया

कि अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1-6 को कौन करेगा।

14. दिनांक 12.07.2022 पर, उच्च न्यायालय ने योजना की धारा 7.1 पर भरोसा करते हुए, आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता को पहली बार में मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया और अपीलकर्ता के लिए बाद में जे. ए. एल. से उसी की वसूली करने के लिए खुला छोड़ दिया, यदि कानून में अनुमति है।
15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

II. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

16. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन पाहवा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

क. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में, अपीलकर्ता को अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने में गलती की क्योंकि प्रारंभिक अधिनिर्णय दिनांक 08.06.2018 के साथ-साथ अनुपूरक अधिनिर्णय दिनांक 02.05.2022 को जे. ए. एल. पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए दायित्व तय करते हुए एल. ए. सी. द्वारा पारित किया गया था।

ख. उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता और जे. ए. एल. के बीच योजना के तहत, जैसा कि एन. सी. एल. टी., मुंबई द्वारा 15.02.2017 पर और एन. सी. एल. टी., इलाहाबाद द्वारा 02.03.2017 पर स्वीकृत किया गया है, "जे. ए. एल. व्यवसाय" (योजना के खंड 1.1(डब्ल्यू) में परिभाषित) से संबंधित मामलों से संबंधित सभी आकस्मिक देनदारियां, जिनमें लंबित मुकदमे भी शामिल हैं, जहां विवादित दावों को प्रभावी तिथि पर या उससे पहले स्पष्ट नहीं किया गया था, यानी 29.06.2017 से, जे. ए. एल. का एकमात्र दायित्व होगा। चूंकि विषय भूमि के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही 1894 के अधिनियम की धारा 4 दिनांक 25.07.2008 के तहत एक अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए मुकदमा 29.06.2017 ("प्रभावी तिथि") पर लंबित था और आक्षेपित दावे को दिनांक 02.05.2022 के अनुपूरक अधिनिर्णय के पारित होने तक स्पष्ट नहीं किया गया था।

- ग. उच्च न्यायालय ने यह दर्ज करने में गलती की कि अपीलकर्ता ने दिनांक 08.06.2018 के अधिनिर्णय के तहत भुगतान किया था, जबकि वास्तव में, यह जे. ए. एल. ही था जिसने उक्त अधिनिर्णय के तहत मुआवजे की राशि का भुगतान किया था। उच्च न्यायालय इस बात पर भी विचार करने में विफल रहा कि दिनांक 08.06.2018 के अधिनिर्णय के तहत भुगतान करके, जे. ए. एल. ने अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न दावों के लिए अपनी देनदारी स्वीकार कर ली थी।
- घ. जे. ए. एल. के लिए विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तदनुसार, एल. ए. सी. ने जे. ए. एल. के पक्ष में दिनांक 07.06.2019 का कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया था और 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत विषय भूमि का मौके पर कब्जा उसे सौंप दिया था। विषय भूमि को जे. ए. एल. के नाम पर उत्परिवर्तन संख्या 232 दिनांक 12.11.2020 द्वारा विधिवत उत्परिवर्तित किया गया था। उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि विषय भूमि को योजना के तहत अपीलकर्ता को संपत्ति के रूप में हस्तांतरित नहीं किया गया था। इसे स्थापित करने के लिए, अपीलकर्ता ने अभिलेख पर रखा था और योजना के तहत खसरा संख्याओं की तुलना का एक चार्ट और खसरा संख्याओं का उल्लेख किया था, जिन्हें दिनांक 08.06.2018 के पुरस्कार के तहत जे. ए. एल. को हस्तांतरित किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि विषय भूमि या उसके भागों की खसरा संख्याओं में से कोई भी योजना के तहत हस्तांतरित भूमि/परिसंपत्तियों की खसरा संख्याओं के साथ ओवरलैप नहीं करता है। इसलिए, चूंकि अपीलकर्ता विषय भूमि के कब्जे या लाभ, यदि कोई हो, का आनंद नहीं ले रहा था, इसलिए अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व उस पर निर्धारित नहीं किया जा सकता था।
- ड. योजना के अनुसार, अपीलकर्ता ने केवल अनुसूची-1 और अनुसूची-1ए में सूचीबद्ध कुछ परिसंपत्तियों को "मंदी विनिमय आधार" पर खरीदा और जे. ए. एल. का अधिग्रहण नहीं किया। श्री पाहवा ने स्पष्ट किया कि जे. ए. एल. एक जीवित इकाई है और उच्च न्यायालय ने यह समझने में गलती की थी कि जे. ए. एल. का अपीलकर्ता के साथ विलय या हस्तांतरण किया गया था।

च. श्रीमान पहवा ने इस न्यायालय द्वारा **अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड बनाम टोनू राम एस. एल. पी. (सी) (डायरी)** संख्या 2019 का 42997 दीनाकित 16.12.2019 में पारित आदेश की और भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को योजना की अवहेलना करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ वसूली का दावा करने के लिए तीसरे पक्ष को अनुमति देने के रूप में नहीं माना जा सकता था और निष्पादन अदालत योजना के उद्देश्य की जांच करने और उसके अनुरूप सख्ती से आदेश पारित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगी।

टोनू राम (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“...इसे प्रतिवादी संख्या 4- मेसर्स जयप्रकाश इंडस्ट्रीज के संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था की योजना की अवहेलना करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली का दावा करने के लिए तीसरे पक्ष को अनुमति देने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस स्पष्ट स्थिति के बावजूद, यदि कोई तीसरा पक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ उपाय करने का इरादा रखता है, तो निष्पादन न्यायालय एन. सी. एल. टी. द्वारा प्रस्तावित योजना के उद्देश्य की जांच करने और उसके अनुरूप सख्ती से आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगा। याचिकाकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह इस तर्क के समर्थन में योजना में प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में निष्पादन न्यायालय या किसी अन्य मंच का ध्यान आकर्षित करे कि देय राशि का भुगतान करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 4-एम/एस. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज का रहेगा।”

[जोर दिया गया]

छ. वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि जेएएल ने आदेश XXI नियम 41 (2) के तहत फॉर्म-16ए में शपथ लेने की घोषणा की थी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 2022 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 174 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 दिनांक 04.12.2023 का शीर्षक **टोनू राम (मृत) बनाम मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड** है जो निम्नानुसार है:

“...(ई) अन्य संपत्ति: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की संपत्ति की सूची, अर्थात् 56-14 बीघा भूमि मापने वाली, गाँव भलाग, पी. ओ. कंधार,

तहसील अर्की, जिला में स्थित है। सोलन (एच. पी.), जिसके माध्यम से परिवर्तन को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पक्ष में 12.11.2020 पर सत्यापित किया गया था।

इसलिए, उपरोक्त को देखते हुए, विषयगत भूमि जे. ए. एल. के स्वामित्व में रही और अपीलकर्ता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विषय भूमि से कोई संबंध नहीं था और यह कि विषयगत भूमि न तो अपीलकर्ता के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी और न ही इसे योजना के तहत अपीलकर्ता को हस्तांतरित किया गया था।

III. प्रतिवादी संख्या 1-6 की ओर से प्रस्तुतियाँ

17. प्रतिवादी संख्या 1-6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बीजू पी. रमन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

- क. यह भूमि जे. ए. एल. की सीमेंट इकाई द्वारा संचालित किए जा रहे सीमेंट संयंत्र के लिए सुरक्षा क्षेत्र क्षेत्र का एक हिस्सा है। जिला प्रशासन ने 56.14 भिगा भूमि का अधिग्रहण किया और इसके लिए अधिनिर्णय 08.06.2018 पर वास्तविक नियंत्रण रेखा, अर्की द्वारा पारित किया गया।
- ख. संयंत्र/परियोजना को अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 2017 में जे. ए. एल. की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण करके अपने हाथ में ले लिया गया था और सभी चल और अचल परिसंपत्तियों और देनदारियों को इसके सहायक के रूप में अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि अपीलकर्ता, जे. ए. एल. और हिमाचल प्रदेश सरकार ("समझौता जापन") दिनांक 29.06.2017 के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता जापन द्वारा की गई थी।
- ग. उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.07.2022 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1-6 का निवेदन दर्ज किया कि विषयगत भूमि से संबंधित 2018 के पुरस्कार संख्या 1 के लिए भुगतान अपीलकर्ता द्वारा जमा किया गया था।
- घ. अपीलकर्ता और जे. ए. एल. प्रतिवादी को अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के अपने कानूनी दायित्व और दायित्व से बचने की कोशिश कर रहे हैं और मूल भूमि मालिकों को उनके बकाया मुआवजे प्राप्त करने के वैध अधिकार से वंचित करने के इरादे से एक दूसरे के साथ मिलकर विवाद पैदा कर रहे हैं।

ड. विषयगत भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा इसका उपयोग इसके उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

IV. प्रतिवादी नं. 10 की ओर से प्रस्तुतिया

18. प्रतिवादी संख्या 10 अर्थात भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अर्की की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पुनीत राजता ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

क. सीमेंट संयंत्र को एक सुरक्षा क्षेत्र प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसे वर्ष 2016 में अपीलकर्ता द्वारा पहले ही ले लिया गया था।

ख. अधिग्रहित भूमि का उपयोग अपीलकर्ता द्वारा उनके द्वारा चलाए जा रहे सीमेंट संयंत्र के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है। हालाँकि, भूमि जे. ए. एल. के नाम पर दर्ज है।

ग. अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की सीमा तक राज्य की भूमिका सीमित थी और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, भूमि अधिग्रहण/हस्तांतरण से संबंधित सभी लागत केवल कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी के सीमेंट संयंत्र के निर्माण या संचालन के व्यवसाय में राज्य की कोई भूमिका नहीं है और 2018 के अधिनिर्णय संख्या 1 के तहत सभी भुगतान जे. ए. एल. द्वारा भूमि मालिकों को किए गए थे।

घ. अनुपूरक अधिनिर्णय 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2350 में उच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2018 के निर्देश के अनुसार 02.05.2022 पर पारित किया गया था और उच्च न्यायालय ने एक अलग आदेश 12.07.2022 द्वारा से अपीलकर्ता को भूमि मालिकों को भुगतान करने और जे. ए. एल. से उक्त राशि की वसूली करने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने दिनांक 22.08.2022 के आदेश द्वारा से नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक होगी।

ड. अपीलकर्ता द्वारा भूमि का उपयोग सीमेंट संयंत्र के संचालन के उद्देश्य से किया जा रहा है, हालाँकि वे केवल भूमि मालिकों के अधिकारों से वंचित करने की दृष्टि से विवाद उठा रहे हैं। इसलिए, मुआवजे के भुगतान के लिए देयता अपीलकर्ता या

जे. ए. एल. के खिलाफ तय की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि राज्य को भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया जाता है, तो उसे सार्वजनिक धन से ऐसा करना होगा और प्रतिपूर्ति की मांग करनी होगी।

V. प्रतिवादी नं. 11 की ओर से प्रस्तुतिया

19. प्रतिवादी संख्या 11 अर्थात मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

क. अनुपूरक अधिनिर्णय दिनांक 02.05.2022 को पारित करने की प्रक्रिया के दौरान, जे. ए. एल. ने स्पष्ट किया था कि उसने सीमेंट परियोजना को 29.06.2017 पर अपीलकर्ता को सौंप दिया था और खनन गतिविधियों और सुरक्षा क्षेत्र के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह दावा किया गया कि विषयगत भूमि सीमेंट परियोजना का एक अभिन्न अंग था। इसलिए जो कोई भी हो सीमेंट संयंत्र का संचालन और खनन गतिविधियों को अंजाम देना सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। तदनुसार, अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करना अपीलकर्ता का कर्तव्य था।

ख. रिट याचिका संख्या 2350/2018 की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता ने कहा था कि उसे अपनी परियोजनाओं के लिए विषयगत भूमि की आवश्यकता नहीं है। वकील ने तर्क दिया कि चूंकि जे. ए. एल. ने पहले ही अपीलकर्ता को सीमेंट परियोजना सौंप दी थी और उक्त परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र के उद्देश्य से विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता यह नहीं कह सकता कि उन्हें इस विशेष भूमि की कभी कोई आवश्यकता नहीं थी।

ग. यद्यपि राज्य सरकार ने जे. ए. एल. के पक्ष में विषयगत भूमि का प्रतीकात्मक कब्जा 07.06.2019 पर सौंप दिया था, फिर भी इस भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादी संख्या 1-6 सहित ग्रामीणों/भूमि मालिकों के पास ही रहा, जिन्होंने विषयगत भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और दिनांक 08.06.2018 के अधिनिर्णय और दिनांक 02.05.2022 के अनुपूरक अधिनिर्णय के वितरण के बाद भी उसी पर घर/संरचनाओं का निर्माण किया था।

घ. यह प्रस्तुत किया गया कि एल.ए.सी द्वारा अधिनिर्णय जारी करने में पर्याप्त देरी ने जे.ए.एल के लिए अधिग्रहण के उद्देश्य को विफल कर दिया है। चूंकि पूरी परियोजना अपीलकर्ता के संरक्षण और कब्जे में है, इसलिए खनन गतिविधियों और सुरक्षा क्षेत्र के उद्देश्य के लिए विषयगत भूमि की आवश्यकता के मुद्दे को संबोधित करना उचित पक्ष है। यदि अपीलकर्ता को विषयगत भूमि में कोई रुचि नहीं है, तो उसे मूल भूमि मालिकों (प्रतिवादी संख्या 1-6) को वापस कर दिया जाना चाहिए और वर्ष 2018 में अधिनिर्णय के रूप में जमा की गई राशि 10,77,53,842 रुपये जे.ए.एल को वापस कर दी जानी चाहिए।

ड. श्री कुमार ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय को दिए गए बयान के अनुसार, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता को विचाराधीन भूमि की आवश्यकता नहीं है, जिसे सीमेंट परियोजना के लिए खनन गतिविधियों और सुरक्षा क्षेत्र के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

च. अधिवक्ता ने दोहराया कि जे. ए. एल. ने वर्ष 2017 में अपीलकर्ता को पूरी सीमेंट परियोजना बेच दी थी और सौंप दी थी, जिसमें अधिग्रहित निजी भूमि और सरकारी भूमि शामिल थी। इस उद्देश्य के लिए परिवर्तित किया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन में शामिल एक इकाई के लिए विषयगत भूमि की आवश्यकता थी, इसलिए, सीमेंट परियोजना के सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता के पास थी। यदि अपीलकर्ता अधिग्रहित विषयगत भूमि में रुचि नहीं रखता है, तो उसे वापस किया जाए तथा वर्ष 2018 में अधिनिर्णय के रूप में जमा की गई 10,77,53,842/- रुपए की राशि जे.ए.एल को वापस की जाए।

VI. मुद्दे निर्धारण के लिए

20. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख द्वारा सामग्री को देखने के बाद, निम्नलिखित चार प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं:-

- i. क्या विषय भूमि और उससे जुड़ी अन्य सभी देनदारियों को योजना के संदर्भ में अपीलकर्ता को हस्तांतरित किया गया था?

- ii. चाहे वह अपीलकर्ता हो या जे. ए. एल. जो अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था?
- iii. क्या 2013 के अधिनियम की धारा 101 के संदर्भ में भूमि को अधिनियम की योजना के तहत इस स्तर पर प्रतिवादी संख्या 1-6 को वापस किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, खंड 101 का दायरा क्या है?
- iv. क्या हिमाचल प्रदेश, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, दिनांक 02.05.2022 के अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी?

VII. विश्लेषण

A. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत अपीलकर्ता और जे. ए. एल. के बीच व्यवस्था की योजना

21. एन. सी. एल. टी., मुंबई और एन. सी. एल. टी., इलाहाबाद द्वारा क्रमशः स्वीकृत अपीलकर्ता और जे. ए. एल. के बीच सहमत योजना का विश्लेषण यह निर्धारित करने की कुंजी है कि पूरक पुरस्कार दिनांक 02.05.2022 के तहत निर्धारित राशि का भुगतान किसे करना चाहिए। योजना के संबंध में, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है:
 - i. क्या अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत अपेक्षित राशि के भुगतान से संबंधित विवाद योजना में निर्धारित "प्रभावी तिथि" से पहले या बाद में उत्पन्न हुआ था?
 - ii. क्या विषयगत भूमि सीमेंट परियोजना का एक अभिन्न अंग है और उक्त भूमि के लिए अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व अपीलकर्ता पर लगाया जा सकता है, भले ही उक्त भूमि उसके नाम पर न हो?
22. खंड 1.1 (ओ) "प्रभावी तिथि" को उस तारीख के रूप में परिभाषित करता है जिस पर योजना अपनी शर्तों के अनुसार प्रभावी होती है, जो समापन तिथि होगी [खंड 1.1 (के) और खंड 10.1 में परिभाषित]। उक्त तिथि पक्षकारों के बीच 29.06.2017 होने का निर्णय लिया गया था।
23. खंड 1.1 (डब्ल्यू) जे. ए. एल. द्वारा अपीलकर्ता को हस्तांतरित व्यवसाय और परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। उसी की परिभाषा नीचे प्रस्तुत की गई है:

“...(डब्ल्यू) "जे. ए. एल. व्यवसाय" से जे. ए. एल. सीमेंट संयंत्रों में निर्मित सीमेंट और क्लिंकर के निर्माण, बिक्री और वितरण का व्यवसाय अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे व्यवसाय को संचालित करने के सभी अधिकार, इसकी चल या अचल संपत्तियां, कैपिटल बिजली संयंत्र, डी. जी. सेट, कोयला संबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, देनदारियां, गारंटी, भूमि, पट्टे, लाइसेंस, परमिट, खनन पट्टे, चूना पत्थर के खनन के लिए पूर्वक्षण लाइसेंस, चूना पत्थर के खनन के लिए आशय पत्र, मूर्त या अमूर्त संपत्ति, सद्भावना, सभी वैधानिक या नियामक अनुमोदन, रसद, विपणन, भंडारण, बिक्री और वितरण नेटवर्क (विपणन) शामिल हैं। कर्मचारी, कार्यालय, डिपो, अतिथि गृह और जे. ए. एल. व्यवसाय के लिए ईथर से संबंधित सुविधाएं), कर्मचारी, मौजूदा अनुबंध जिनमें फ्लाई-ऐश अनुबंध, रेलवे साइडिंग, जे. ए. एल. व्यवसाय के संबंध में वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं, विशेष रूप से अनुसूची I में वर्णित हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं।

- (i) निर्माण उपकरण और ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें अनुसूची II में सूचीबद्ध किया जाना है।
- (ii) जे. ए. एल. वित्तीय ऋण और जे. ए. एल. निवल कार्यशील पूंजी में शामिल दायित्वों के अलावा, स्थानांतरिती को प्रदान की गई समापन तिथि पर जे. ए. एल. व्यवसाय की तुलनपत्र में प्रकट आकस्मिक दायित्व सहित कोई भी दायित्व;
- (iii) किसी भी विवाद के लिए कोई गारंटी या जमा राशि;
- (iv) जे. ए. एल. बहिष्कृत कर्मचारी;
- (v) जे.ए.एल. नॉन मूविंग स्टोर्स, जे.ए.एल. व्यवसाय के संदिग्ध प्राप्य, गैर-वसूली योग्य देनदार, हस्तांतरणकर्ता 1 की पुस्तकों में ऋण या अग्रिम। इस प्रयोजन के लिए, गैर-वसूली योग्य देनदार; ऋण या अग्रिम ऐसे देनदारों को संदर्भित करेंगे; ऋण या अग्रिम जिनके लिए हस्तांतरणकर्ता 1 को खंड 9.1 (i) में उल्लिखित प्राप्तियों के लिए कोई पुष्टि नहीं मिली है;
- (vi) कोयला खनन खंड - मंडला (उत्तर) और संबंधित गारंटी, जमा राशि आदि।

- (vii) जे. ए. एल. व्यवसाय के संबंध में वितीय प्रोत्साहन जो समापन तिथि तक जमा होते हैं;
- (viii) हस्तांतरणकर्ता की कोई भी बौद्धिक संपदा;
- (ix) समापन तिथि तक जेएएल व्यवसाय से संबंधित मुकदमे;
- (x) वाराणसी में लगभग 1087 वर्ग मीटर का फ्रीहोल्ड भूखंड और आंध्र प्रदेश के कृष्णा में बालाजी संयंत्र के बाहर 24.7 एकड़ भूमि;
- (xi) 180 चुर्क, उत्तर प्रदेश में मेगावाट बिजली संयंत्र;
- (xii) तुर्की, रीवा, मध्य प्रदेश में रेलवे साइडिंग;
- (xiii) संबंधित पक्ष देय या प्राप्य; और
- (xiv) घुरमा चूना पत्थर की खदान, पड़ाच चूना पत्थर की खदान और बारी डोलोमाइट खदान

यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूची III बी में सूचीबद्ध गारंटी, जिसे समापन तिथि के रूप में अद्यतन किया जाएगा, एकमात्र गारंटी होगी जिसे समापन तिथि पर स्थानांतरिती द्वारा लिया जाएगा।

[जोर दिया गया]

- 24. खंड 1.1(डब्ल्यू) (ix) के माध्यम से पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि अपीलकर्ता को हस्तांतरित किए जा रहे व्यवसाय और परिसंपत्तियों से संबंधित सभी मुकदमे जो समापन तिथि से पहले या उस पर उत्पन्न हुए थे, अपीलकर्ता को हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे और जे. ए. एल. के पास ही रहेंगे।
- 25. योजना के खंड 7 के तहत उपरोक्त पहलू को और विस्तृत किया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“7. कानूनी कार्यवाही

7.1 जे. ए. एल. व्यवसाय और जे. सी. सी. एल. व्यवसाय से संबंधित सभी कानूनी या अन्य कार्यवाही (चाहे दीवानी या आपराधिक, किसी भी वैधानिक या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष), हस्तांतरणकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ प्रभावी तिथि से पहले शुरू की गई या

उत्पन्न होने वाली और लंबित, और हस्तांतरणकर्ता 1 और/ या हस्तांतरणकर्ता 2 के पास बनी रहेगी, जैसा भी मामला हो।

7.2 आकस्मिक देनदारियों से संबंधित कोई मामला या मामला विवादित दावों की प्रकृति का होने की स्थिति में, समापन तिथि पर स्पष्ट नहीं किया गया है या अनुसूची III ए और अनुसूची XI ए में सूचीबद्ध गारंटी या किसी भी नाम से इसी तरह का कोई भी साधन जिसे जे. ए. एल. व्यवसाय या जे. सी. सी. एल. व्यवसाय से संबंधित विवादों के खिलाफ अग्रिम दिया गया है, जो समापन तिथि पर मौजूद है, या खनन भूमि ब्लॉक 1,2,3,4 और डल्ला संयंत्र और जेपी सुपर संयंत्र के निंगा होने के संबंध में वनीकरण शुल्क के एन. पी. वी. से संबंधित है, तो स्थानांतरिती को कानून के बल पर हस्तांतरित किया जाता है। 1 और स्थानांतरिती 2 का ऐसी कार्यवाहियों के बचाव के संबंध में पूर्ण नियंत्रण होगा, जिसमें आवश्यक अपील, संशोधन दायर करना शामिल है, कि स्थानांतरिती 1 और स्थानांतरिती 2, जैसा भी मामला हो, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो जे. ए. एल. व्यवसाय और जे. सी. सी. एल. व्यवसाय के संचालन के लिए हानिकारक हो। बशर्ते कि अचल संपत्तियों से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में जो जे. ए. एल. व्यवसाय या जे. सी. सी. एल. व्यवसाय का हिस्सा हैं, स्थानांतरिती को ऐसी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जे. ए. एल. व्यवसाय और जे. सी. सी. एल. व्यवसाय के संचालन के लिए कोई हानिकारक कार्रवाई नहीं की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि: (क) इस खंड 7.2 में निर्दिष्ट मामलों या मामले के संबंध में किसी भी देनदारियों का भुगतान स्थानांतरिती 1 या स्थानांतरिती 2 द्वारा किया जाएगा और यदि स्थानांतरिती द्वारा भुगतान किया जाता है, तो उसे स्थानांतरिती 1 या स्थानांतरिती 2 द्वारा ऐसे भुगतान के 7 (सात) दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति की जाएगी; और (ख) स्थानांतरिती 1 और स्थानांतरिती 2 द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त बैंक गारंटी, जे. ए. एल. व्यवसाय या जे. सी. सी. एल. व्यवसाय से संबंधित विवादित दावों की प्रकृति की आकस्मिक देनदारियों के संबंध में। जहां भी आवश्यक हो, जारी रहेगा और अंतरणकर्ता का समापन तिथि पर ऐसी बैंक गारंटी को बदलने का कोई

दायित्व नहीं होगा और ऐसी किसी भी बैंक गारंटी की अवधि समापन तिथि के बाद समाप्त होने की स्थिति में, स्थानांतरिती 1 और/या स्थानांतरिती 2, जैसा भी मामला हो, जहां भी आवश्यक हो, ऐसी गारंटी का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन करेगा।

7.3 स्थानांतरिती 1, स्थानांतरिती 2 और स्थानांतरिती ऐसे मामले या मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक-दूसरे को पूरा और समय पर सहयोग देंगे। अंतरिती ऐसे मामले या मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्थानांतरिती 1 और स्थानांतरिती 2 को तुरंत आवश्यक प्राधिकरण, मुख्तारनामा, बोर्ड संकल्प आदि देगा।”

[जोर दिया गया]

26. योजना के खंड 7.1 में बिना किसी अस्पष्टता के कहा गया है कि जे. ए. एल. व्यवसाय से संबंधित सीमेंट परियोजना का संचालन करने वाली जे. ए. एल. या उसकी इकाई द्वारा या उसके खिलाफ कोई कानूनी या अन्य कार्यवाही, जैसा कि खंड 1.1 (डब्ल्यू) में परिभाषित किया गया है, प्रभावी तिथि से पहले शुरू की गई या उत्पन्न होने वाली और लंबित है, जे. ए. एल. के पास रहेगी।
27. यह ध्यान देने योग्य है कि सीमेंट संयंत्र और खनन क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र प्रदान करने के लिए 1894 के अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के तहत विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसलिए, जे. ए. एल. व्यवसाय के संबंध में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण की कार्यवाही 25.07.2008 की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना के साथ शुरू हुई, जिस पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 14.12.2011 पर रोक लगा दी थी। मूल भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद, अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक का संचालन 23.06.2016 पर समाप्त हो गया। कार्यवाही की दिशा में अगले कदम के रूप में, एक अधिनिर्णय दिनांक 08.06.2018 पारित किया गया था। तथ्यों से संकेत मिलता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही योजना की प्रभावी तिथि (यानी 29.06.2017) से पहले शुरू हो गई थी और प्रभावी तिथि तक मुआवजा अनिर्धारित रहा। हमारी समझ के अनुसार, ये तथ्य योजना के खंड 7.1 के अनुप्रयोग को आकर्षित करते हैं क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही और इससे जुड़े मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व स्पष्ट रूप से 'अन्य कार्यवाही' के अर्थ के भीतर आता है जैसा कि उक्त खंड के तहत पक्षों द्वारा इरादा किया गया था।

28. जेएएल ने इस बात पर भी विवाद नहीं किया है कि उसने 2018 के पुरस्कार के तहत निर्धारित राशि यानी 10,77,53,842 रुपये का भुगतान योजना की प्रभावी तिथि के बाद किया था। उक्त राशि पहले ही भूस्वामियों को वितरित की जा चुकी है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि उस समय मुआवजे की राशि के भुगतान को जेएएल ने चुनौती दी थी।
29. इसके अलावा, मुआवजे की राशि के निर्धारण का अभ्यास जो अधिग्रहण कार्यवाही का एक हिस्सा है, योजना की प्रभावी तिथि के बाद भी लंबित रहा। एल. ए. सी. द्वारा दिनांकित 08.06.2018 के तहत राशि निर्धारित करने के बाद, जे. ए. एल. ने बिना किसी विरोध या योजना के संदर्भ के भुगतान किया। इसलिए, उसी भूमि और उसी मूल भूमि मालिकों से संबंधित अनुपूरक अधिनिर्णय के स्तर पर, जे. ए. एल. को यह याचिका लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि विषयगत भूमि के संबंध में भुगतान अपीलकर्ता द्वारा किए जाने की आवश्यकता थी।
30. जे. ए. एल. के इस तर्क के संबंध में कि विषयगत भूमि अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य से अपीलकर्ता को हस्तांतरित सीमेंट परियोजना का एक अभिन्न अंग है, हमें इसे प्रतिग्रहण करना मुश्किल लगता है। विषयगत भूमि का अधिग्रहण सीमेंट परियोजना के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र के रूप में किया गया था और 2018 के अधिनिर्णय संख्या 1 में बताए गए कई सुरक्षा खतरों के आलोक में, मूल भूमि मालिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना था।
31. तथापि, हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि विषयगत भूमि योजना के तहत अपीलकर्ता को हस्तांतरित परिसंपत्तियों की सूची के अंतर्गत नहीं आती थी और आज तक जे. ए. एल. के स्वामित्व में है। यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि विषयगत भूमि का अधिग्रहण सीमेंट परियोजना के उद्देश्यों के लिए किया गया था, हम जे. ए. एल. के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकते हैं कि उक्त भूमि से उत्पन्न देनदारियों को अपीलकर्ता पर इस तरह की किसी भी देनदारी के बिना तय किया जाना चाहिए, इस तर्क के बल पर भी नहीं कि विषयगत भूमि सीमेंट परियोजना का अभिन्न अंग थी।
32. हम केवल यह कह सकते हैं कि विषय भूमि के स्वामित्व के संबंध में मुद्दे का निर्णय पक्षों यानी अपीलकर्ता और जे. ए. एल. के बीच किया जा सकता है। हमारे सुविचारित

विचार में, विषयगत भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद, यदि कोई हो, मूल भूमि मालिकों के मुआवजे प्राप्त करने के वैध अधिकारों में बाधा नहीं हो सकते हैं। इसलिए, जे. ए. एल. का यह तर्क कि अपीलकर्ता को अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करना चाहिए क्योंकि विषयगत भूमि सीमेंट परियोजना का अभिन्न अंग थी, खारिज कर दिया जाता है।

ब. 2013 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि की वापसी

33. जे.ए.एल का मामला यह है कि विषयगत भूमि के अधिग्रहण में पर्याप्त देरी के कारण उसका उद्देश्य विफल हो गया है और वह भूमि का कोई उपयोग नहीं कर सका। यह प्रस्तुत किया गया कि यदि अपीलकर्ता को उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, तो इसे मूल भूस्वामियों को वापस कर दिया जाना चाहिए और 2018 के अधिनिर्णय के तहत भुगतान की गई 10,77,53,842/- रुपये की राशि जे.ए.एल को वापस की जानी चाहिए।
34. अधिग्रहित भूमि की वापसी 2013 के अधिनियम की खंड 101 द्वारा नियंत्रित होती है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“101. अप्रयुक्त भूमि की वापसी- जब इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित कोई भी भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहती है, तो उसे मूल मालिक या मालिकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रत्यावर्तन द्वारा उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को वापस कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए, “भूमि बैंक” का अर्थ है एक ऐसी सरकारी संस्था जो सरकारी स्वामित्व वाली खाली, परित्यक्त, अप्रयुक्त अधिग्रहित भूमि और कर- आधारित संपत्तियों को उत्पादक उपयोग में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।”

[जोर दिया गया]

35. खंड 101 को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं: (1) भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और (2) उपयोग में न रहने की अवधि कब्जा करने की तारीख से कम से कम पांच साल होनी चाहिए।

36. हम जे. ए. एल. के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि भूमि मूल भूमि मालिकों को वापस कर दी जाए। हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि जे. ए. एल. द्वारा कब्जा लेने की तारीख से पांच साल की अवधि बीत चुकी है, पहली शर्त कि भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, पूरी नहीं की जाती है।
37. सीमेंट संयंत्र के खनन क्षेत्र को एक सुरक्षा क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 2018 के अधिनिर्णय में उल्लिखित विषयगत भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य नीचे दिया गया है:

“...3. धारा 17 (4) के प्रावधानों को लागू करके अनिवार्य अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 के तहत जारी अधिसूचना की प्रक्रिया के दौरान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17(4) के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया गया था, क्योंकि अधिग्रहण के तहत भूमि क्षेत्र खान पट्टा क्षेत्र से ठीक नीचे आता था और खनन क्षेत्र सुरक्षा जोन के रूप में आवश्यक था। चूंकि अधिग्रहण के तहत भूमि क्षेत्र को सुरक्षा कारणों के मद्देनजर किसी भी आवासीय उद्देश्य के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है और क्योंकि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि भलग नाले के किनारे पर स्थित है और भलग गांव के अधिकांश निवासी भलग गांव में नाले के दाहिने किनारे पर बड़ी संख्या में संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए अनिवार्य अधिग्रहण के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता थी।

इसके अलावा, अनिवार्य अधिग्रहण के प्रावधानों को लागू करने के लिए, इस कार्यालय के पत्र संख्या 2766 दिनांक 06.01.2009 के माध्यम से प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया कि बागा-सहनाली में परियोजना का मुख्य डंपिंग स्थल भलग गांव के ऊपर स्थित है और 2007-08 के अभूतपूर्व द्वितीय भारी वर्षा ऋतु के दौरान, मलबा बहकर

भलग नाले में आ गया था, जिससे प्रस्तावित अधिग्रहण के तहत सुरक्षा क्षेत्र
को खतरा पैदा हो गया था...

[जोर दिया गया]

38. इसलिए, विषयगत भूमि का अधिग्रहण क्षेत्र के निवासियों के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में किया गया था और सीमेंट परियोजना में सक्रिय रूप से उपयोग नहीं किया जाना था। अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान किसी अन्य उपयोग की परिकल्पना नहीं की गई थी सिवाय इसके कि विषयगत भूमि निवासियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। जे. ए. एल. भूमि की वापसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मूल भूमि मालिकों के जीवन और संपत्ति को खतरा होगा। हम पाते हैं कि सुरक्षा क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए सीमेंट परियोजना के पूरे संचालन के दौरान विषयगत भूमि का उपयोग किया गया है और अप्रयुक्त होने की शर्त संतुष्ट नहीं है।
39. यह विवाद में नहीं है कि अनुपूरक अधिनिर्णय को खड़ी फसलों, संरचनाओं और विषयगत भूमि के लिए अन्य नुकसान के मुआवजे के रूप में पारित किया जाना था, जिसे अधिनिर्णय संख्या 1 दिनांक 08.06.2018 के तहत तय और मूल्यांकन नहीं किया जा सका था। 2018 के अधिनिर्णय में भी यही दर्ज किया गया था। हम पाते हैं कि अनुपूरक अधिनिर्णय पारित करना कोई नई प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि 2018 के पुरस्कार की निरंतरता/विस्तार था। इसलिए, जब जे. ए. एल. पहले ही पिछले अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के कर चुका है, तो उसे अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत अपने दायित्व पर सवाल उठाने और इस स्तर पर भूमि की वापसी के लिए याचिका दायर करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी जा सकती है कि अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी के कारण भूमि का उद्देश्य विफल हो गया है।
40. इस स्तर पर, हमारे लिए 2013 अधिनियम की धारा 101 के उद्देश्य पर चर्चा करना आवश्यक है। मौजूदा धारा को पहली बार 2013 के अधिनियम में उन भूमि मालिकों के लिए एक लाभकारी प्रावधान के रूप में पेश किया गया था, जिनकी भूमि हड़पी गई थी, लेकिन जिनका उपयोग नहीं किया गया था या धारा 4 के तहत अधिसूचनाओं में बताए गए उद्देश्य के अनुसार उनका उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि, धारा का आवेदन केवल उन परिस्थितियों में आवश्यक है जहां भूमि की वापसी से भूमि मालिकों को लाभ होगा। जो पक्ष भूमि का उपयोग करने में विफल रहा है, वह भूमि की वापसी और उसके

परिणामस्वरूप भुगतान किए गए मुआवजे की वापसी के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अपनी गलती या चूक का लाभ उठाने के समान होगा।

ग. उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश

41. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करे और यदि अनुमेय हो तो उसे जे.ए.एल. से वसूल करे।

42. हम पाते हैं कि इस तरह का निर्देश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय का तर्क निम्नलिखित कारणों से अस्थिर है:

- i. उच्च न्यायालय ने योजना के खंड 7.1 का उल्लेख किया है लेकिन इसे किसी भी तरह से सही तरीके से लागू नहीं किया है, जिससे पक्षों के बीच व्यवस्था की योजना की अनदेखी की गई है।
- ii. उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया है कि जे. ए. एल. को इसमें अपीलकर्ता द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है और अपीलकर्ता ने 2018 के अधिनिर्णय संख्या 1 दिनांक 08.06.2018 के तहत मुआवजे का भुगतान किया था। हम पाते हैं कि ये इस अपील के लिए पक्षों द्वारा हमें प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर गलत तथ्य हैं। जे. ए. एल. ने केवल सीमेंट परियोजना और क्लिकराइजेशन व्यवसाय को योजना के माध्यम से अपीलकर्ता को हस्तांतरित किया है और अभी भी अपने अन्य कार्यों के संबंध में अपीलकर्ता के नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि यह जे. ए. एल. ही था जिसने 2018 के पुरस्कार के तहत भुगतान किया था, न कि अपीलकर्ता ने।
- iii. उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि 29.06.2017 पर योजना लागू होने के बावजूद विषयगत भूमि का स्वामित्व जे. ए. एल. के पास बना रहा। अपीलकर्ता को भूमि के उन हिस्सों के लिए अनुपूरक अधिनिर्णय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है जो न तो उसके स्वामित्व में हैं और न ही कब्जे में हैं।
- iv. उच्च न्यायालय **टोन् राम (उपर्युक्त)** दिनांक 16.12.2019 के इस न्यायालय के आदेश पर विचार करने में भी विफल रहा, जिसने निष्पादन अदालत पर एन. सी.

एल. टी. द्वारा प्रस्तावित योजना के उद्देश्य की जांच करने और उसके अनुरूप सख्ती से आदेश पारित करने का कर्तव्य लगाया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता इस तर्क के समर्थन में योजना के प्रासंगिक प्रावधानों का समर्थन लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि देय राशि का भुगतान करने का दायित्व उक्त योजना के अनुसार जे. ए. एल. के पास रहता है।

D. संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत राज्य की भूमिका

43. हमारे देश में संपत्ति का अधिकार परस्पर जुड़े अधिकारों का एक जाल है, जिसकी व्याख्या इस न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम एवं अन्य बनाम बिमल कुमार शाह एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 968 में की है। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने सात गैर-संपूर्ण उप-अधिकारों की पहचान की है जो किसी भूस्वामी को तब प्राप्त होते हैं जब राज्य उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है। उक्त निर्णय के तहत इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

“...27. ... सात ऐसे उप-अधिकारों की पहचान की जा सकती है, हालांकि वे संपूर्ण नहीं हैं। ये हैं: i) राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सूचित करे कि वह उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है - सूचना का अधिकार, ii) राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुने - सुने जाने का अधिकार, iii) राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अधिग्रहण के अपने निर्णय के बारे में सूचित करे - तर्कपूर्ण निर्णय का अधिकार, iv) राज्य का कर्तव्य है कि वह यह प्रदर्शित करे कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है - केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण करने का कर्तव्य, v) राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रतिपूर्ति और पुनर्वास करे - प्रतिपूर्ति या उचित मुआवजे का अधिकार, vi) राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिग्रहण की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और कार्यवाही की निर्धारित समयसीमा के भीतर संचालित करे - एक कुशल और शीघ्र प्रक्रिया का अधिकार, और vii) कार्यवाही का अंतिम निष्कर्ष जो निहितता की ओर ले जाता है - निष्कर्ष का अधिकार...”

[जोर दिया गया]

इस न्यायालय ने माना कि उचित एवं तर्कसंगत मुआवजा किसी भी अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है।

44. रॉय एस्टेट बनाम झारखंड राज्य, (2009) 12 एससीसी 194; भारत संघ बनाम महेंद्र गिरजी, (2010) 15 एससीसी 682 और मंसाराम बनाम एस.पी. पाठक, (1984) 1

एससीसी 125 में, इस न्यायालय ने कानून द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने के साथ-साथ उचित समय के भीतर मुआवज़ा राशि का शीघ्रता से निर्धारण और वितरण करने के महत्व को रेखांकित किया।

45. विषयगत भूमि को 1894 अधिनियम की धारा 17(4) के तहत अत्यावश्यकता के मामलों में विशेष शक्तियों का प्रयोग करके अधिग्रहित किया गया था। धारा 17(4) के प्रयोग से भूमि स्वामियों के लिए धारा 5ए के तहत अधिग्रहण कार्यवाही पर आपत्तियां उठाने का वैधानिक रास्ता समाप्त हो जाता है। ये परिस्थितियां राज्य पर भूमि स्वामियों को शीघ्रता से उचित और उचित मुआवजा प्रदान करके न्याय दिलाने का भारी दायित्व डालती हैं। कोलकाता नगर निगम (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा चिन्हित भूस्वामियों के सात उप-अधिकार राज्य के समतुल्य कर्तव्य हैं। हमें यह जानकर खेद है कि अनुपूरक अधिनिर्णय के तहत मुआवजे के रूप में निर्धारित 3,05,31,095 रुपये की राशि का भुगतान भूमि मालिकों को दो वर्षों से अधिक समय से नहीं किया गया है और कल्याणकारी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसे शीघ्र भुगतान करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।
46. इस न्यायालय ने धरणीधर मिश्रा (डी) और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 932 और हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार, (2011) 10 एस.सी.सी. 404 में माना है कि संपत्ति का अधिकार अब न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि एक मानव अधिकार भी है। इस न्यायालय ने तुकाराम काना जोशी एवं अन्य बनाम पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाम एम.आई.डी.सी. एवं अन्य, (2013) 1 एस.सी.सी. 353 मामले में माना कि कल्याणकारी राज्य में, वैधानिक प्राधिकारी कानूनी रूप से उन व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा देने और पुनर्वास करने के लिए बाध्य हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है। औद्योगिक विकास की आड़ में ऐसे दायित्वों को पूरा न करना किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को उसकी जड़ों से बेदखल करने तथा उसे उसके संवैधानिक/मानवीय अधिकार से वंचित करने के समान होगा।
47. मुआवजे के निर्धारण और भुगतान में समय का बहुत महत्व है, यह इस न्यायालय के कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2024

एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 2547 के फैसले से भी स्पष्ट है। जिसमें यह माना गया है कि एक बार मुआवजा निर्धारित हो जाने पर, उसे भूमि मालिकों द्वारा किसी अभ्यावेदन या अनुरोध की आवश्यकता के बिना तत्काल देय माना जाएगा और राज्य पर यह कर्तव्य है कि वह भूमि खोने वालों को ऐसा मुआवजा दे, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन होगा।

48. वर्तमान मामले में, हिमाचल प्रदेश सरकार को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में इस मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुआवजे के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। राज्य यह तर्क देकर मुआवजे के भुगतान की अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता कि उसकी भूमिका अपीलकर्ता, जे.ए.एल और उसके बीच हस्ताक्षरित समझौता जापन के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने तक ही सीमित थी। हम पाते हैं कि भूमि का स्वामित्व छीन लेने के बाद भूस्वामियों को मुआवजे के भुगतान में देरी अनुच्छेद 300ए की संवैधानिक योजना की भावना और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है।
49. सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण सरकार के प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति के तहत किया जाता है, जो अधिग्रहित होने वाली भूमि के मालिकों की इच्छा के खिलाफ है। जब इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निकाय की ओर से एक बाध्यकारी कर्तव्य और दायित्व के साथ जोड़ा जाता है कि जिन मालिकों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें कानूनी अधिनिर्णय द्वारा जल्द से जल्द घोषित मुआवजे/अधिनिर्णय राशि का भुगतान किया जाता है।
50. राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह विशेष परिस्थितियों में अपने खजाने से भूमि मालिकों को मुआवजा देने के लिए आवश्यक भुगतान करे और उसके बाद उसे जे.ए.एल से वसूलना चाहिए था। गरीब भूमि मालिकों को शक्तिशाली कॉर्पोरेट घरानों के पीछे भागने के लिए मजबूर करने के बजाय, उसे जे.ए.एल को आवश्यक भुगतान करने के लिए मजबूर करना चाहिए था।
51. यद्यपि खड़े पेड़ों, क्षतिग्रस्त संरचनाओं, घरों आदि के लिए अतिरिक्त मुआवजा निर्धारित करने के उद्देश्य से एक अनुपूरक अधिनिर्णय पारित करने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई थी और दिनांक 08.06.2018 के अधिनिर्णय में दर्ज की गई थी,

फिर भी इस तरह के अनुपूरक अधिनिर्णय को पारित किए बिना दिनांक 07.06.2019 के कब्जे प्रमाण पत्र के माध्यम से विषय भूमि का कब्जा जे.ए.एल को सौंप दिया गया। हमारा विचार है कि भूमि पर कब्जा करने से पहले इस तरह की प्रक्रिया को पूरा करने में गलती या चूक को 2013 अधिनियम की धारा 38(1) के अधिदेश का उल्लंघन माना जा सकता है। धारा 38 का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“38. अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कब्जा करने की शक्ति।-

(1) कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के पश्चात भूमि पर कब्जा लेगा कि धारा 30 के अधीन दिए गए निर्णय की तारीख से प्रारंभ होकर, द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध मुआवजे के लिए तीन माह की अवधि के भीतर तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के अधिकारों के मौद्रिक भाग के लिए छह माह की अवधि के भीतर हकदार व्यक्तियों को मुआवजे के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिकारों का पूरा भुगतान कर दिया गया है या उन्हें सौंप दिया गया है: बशर्ते कि द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज के घटक, जो अवसंरचनात्मक अधिकारों से संबंधित हैं, पुरस्कार की तिथि से अठारह महीने की अवधि के भीतर प्रदान किए जाएंगे: आगे यह भी प्रावधान है कि सिंचाई या जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, जो सार्वजनिक उद्देश्य है, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिग्रहित भूमि के जलमग्न होने से छह महीने पहले पूरा किया जाएगा...”

[जोर दिया गया]

52. जैसा कि ऊपर पुनरुत्पादित किया गया है, धारा 38 को पढ़ने से पता चलता है कि भूमि मालिकों को पूर्ण और अंतिम मुआवजे का भुगतान ऐसे व्यक्तियों से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर कब्जा लेने की एक पूर्व शर्त है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण की कार्यवाही इस वैधानिक रूप से अनिवार्य घटनाओं के अनुक्रम की पूर्ति करने में विफल रही। यह खेदजनक है कि हिमाचल प्रदेश राज्य, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, प्रतिवादी संख्या 1-6 को उनकी भूमि पर कब्जा करने से पहले मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया। वास्तव में, भूमि मालिकों को अनुपूरक अधिनिर्णय पारित करने के लिए एल.ए.सी. को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा

खटखटाना पड़ा, जिसे अंततः 2018 के पुरस्कार पारित होने की तारीख से लगभग चार साल की अवधि के बाद 02.05.2022 पर पारित कर दिया गया।

53. इसके अलावा, विषयगत भूमि के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 25.07.2008 के अनुसार शुरू हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में 1894 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है, विशेष रूप से धारा 41 जो कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। 1894 अधिनियम की धारा 41 का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“41. उपयुक्त सरकार के साथ समझौता-

यदि समुचित सरकार धारा 5ए, उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, या धारा 40 के अधीन जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर संतुष्ट हो जाती है कि प्रस्तावित अधिग्रहण धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (कक) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए है, तो वह कंपनी को समुचित सरकार के साथ निम्नलिखित मामलों के लिए समुचित सरकार की संतुष्टि हेतु समझौता करने की आवश्यकता होगी, अर्थात्:-

(1) अधिग्रहण की लागत का उचित सरकार को भुगतान;

(2) कंपनी को इस तरह के भुगतान पर भूमि का हस्तांतरण।”

[जोर दिया गया]

54. धारा 41 उपयुक्त सरकार और उस कंपनी के बीच एक समझौते की आवश्यकता बताती है जिसके उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस तरह के समझौते का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिग्रहण की लागत का भुगतान कंपनी द्वारा उपयुक्त सरकार को किया जाए और इस तरह के भुगतान पर ही कंपनी को भूमि हस्तांतरित की जाए। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि जे. ए. एल. को हिमाचल प्रदेश राज्य को विषयगत भूमि हस्तांतरित करने से पहले आवश्यक भुगतान करने के लिए अनिवार्य किया गया था।
55. हालाँकि, जैसा कि पूर्वगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, इससे पहले कि मुआवजे की राशि का निर्धारण दिनांक 08.06.2018 में निर्धारित अनुपूरक अधिनिर्णय के माध्यम से किया जा सके, विषयगत भूमि जे. ए. एल. को हस्तांतरित कर दी गई। हमारे विचार में

यह क्रमशः 2013 के अधिनियम की धारा 38 और 1894 के अधिनियम की धारा 41 का उल्लंघन है।

56. इस प्रकार, हम प्रतिवादी संख्या 7 और 10 अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अर्की को प्रतिवादी संख्या 1-6 को अधिग्रहण कार्यवाही के शीघ्र समापन के लिए 3,05,31,095/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझते हैं। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि राज्य उक्त राशि जे.ए.एल से वसूल करेगा क्योंकि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर विषयगत भूमि के अधिग्रहण की लागत का भुगतान करने का दायित्व अंततः जे.ए.एल पर आता है।

VIII. निष्कर्ष

57. सभी पूर्वगामी कारणों से, यह अपील सफल होती है और इसके द्वारा उपरोक्त शर्तों में इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.07.2022 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।
58. प्रतिवादी संख्या 7 और 10 को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर 3,05,31,095/- रुपये (तीन करोड़ पांच लाख इकतीस हजार पंचानबे रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि उस पर अनुपूरक अधिनिर्णय पारित होने की तिथि अर्थात 02.05.2022 से वसूली की तिथि तक 9% ब्याज सहित अदा करें। राज्य द्वारा भुगतान की गई कुल राशि प्रतिवादी संख्या 11 (जे.ए.एल) से वसूल की जाएगी।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत की गई।

[†] हेडनोट तैयारकर्ता: अंकित ज्ञान

प्रेम पाल रान्टा
(सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश)